JALAUN POLICE

दिनांक – 23.05.2026

अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं शिथिलता बरतने में 01 उपनिरीक्षक व 01 आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया।

अवगत कराना है कि आरक्षी पंकज कुमार शर्मा पीआरवी संख्या-8352 जनपद जालौन को दिनांक: 22.05.2026 को ग्राम सधरा के रहने वाले बुद्ध सिंह अहिरवार पुत्र मंशा राम अहिरवार व द्वितीय पक्ष मोहर सिंह पुत्र भारत सिंह के मध्य खेत जुताई के पैसे को लेकर मोहर सिंह के घर के बाहर गाली-गलौज आदि के प्रकरण में प्राप्त इवेन्ट संख्या: 2205263398 पर समय 10.27 बजे की सूचना पर जॉच हेतु पहुंचने पर इनके द्वारा मौके पर दोनों पक्षों से शालीनता से बातचीत न करके मात्र औपचारिकता पूरी की गयी तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु दोनों पक्ष को थाना स्थानीय (थाना आटा) नहीं भेजा गया। इनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं शिथिलता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

थाना आटा पर तैनात उपनिरीक्षक विश्वनाथ सिंह उक्त प्रकरण की जांच हेतु भेजा गया था, इनके द्वारा मौके पर दोनों पक्षों से शालीनता से बातचीत न करके मात्र औपचारिकता पूरी की गयी तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु दोनों पक्ष को थाना स्थानीय (थाना आटा) नहीं भेजा गया। इनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं शिथिलता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

निलम्बित अधिकारी/कर्मचारीगण का विवरण-

1. उपनिरीक्षक विश्वनाथ सिंह थाना आटा
2. आरक्षी पंकज कुमार शर्मा पीआरवी संख्या-8352